विचार बिन्दु

ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से। –कौटिल्य

ईज ऑफ जस्टिस के बिना अधूरी है, ईज ऑफ डूईंग तथा ईज ऑफ लिविंग की परिकल्पना

दिनांक 8–9 नवम्बर, 2025 को दिल्ली में नालसा (नेशनल लिगल सर्विसेज ऑथोरिटी) द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली की प्रिमीसेज में आयोजित किया जाता था। चर्चा का विषय था 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनायें'। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। अपने उद्घाटन भाषण में मोदी ने कहा, 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र की दृढ़ता तथा कानूनी प्रक्रिया से सम्बन्धित यह कार्य प्रणाली न्यायिक व्यवस्था को शक्तिशाली धरातल देगा अतः आयोजन के हेतु आप सबको बधाई देता हूँ। साथ ही मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईज ऑफ जस्टिस के बिना ईज ऑफ डूईंग और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस अर्थात् न्याय आसानी से अन्तिम व्यक्ति तक पहुँच सके। मोदी ने ईज ऑफ जस्टिस पर यह भी घोषित किया कि कानून की भाषा सरल सुगम्य होनी चाहिये ताकि न्याय प्राप्त करने वाला व्यक्ति इसे समझ सके।

राष्ट्रीय अधिवेशन में जस्टिस सूर्यकान्त की उपस्थिति बहुत ही प्रभावशाली थी। अपने Valedictory भाषण में उन्होंने ईज ऑफ जस्टिस की बहुत सुन्दर व्याख्या की। जस्टिस सूर्यकान्त नालसा के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि नालसा ने न्याय की चाह को देश के कोने–कोने तक पहुँचाया है। वहाँ तक पहुँचाया है जहाँ वे लोग हैं, जो देश की निगाहों में खो चुके थे, जिनकी आवाज अनसुनी थी।

राष्ट्रीय अधिवेशन दो दिन का था। कई विषयों पर चर्चायें इन दो दिनों में की गईं। जस्टिस सूर्यकान्त ने ऑपनिंग सेशन्स में "Institutional Defence for Inclusive Justice" विषय पर चर्चा प्रारम्भ करते हुये नालसा की भूमिका को सराहा। उन्होंने पेनल लॉयर्स (PLVS) द्वारा कानूनी सहायता दिये जाने को अभूतपूर्व कर्म की संज्ञा दी।

जस्टिस सूर्यकान्त के अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ का भाषण भी बहुत प्रभावशाली व ज्ञानवर्धक था। ईज ऑफ जस्टिस की भूमिका का विस्तार से उन्होंने विवेचन किया था उनका कहना था न्याय के दरवाजे सबके लिये खुले हैं, यहाँ धर्म जाति आदि के भेदभाव का कोई बंधन नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने जो नालसा के Patron-in-Chief हैं, ने उन न्यायायिक अधिकारियों को जो डेपूटेशन पर भेजे जाते हैं, आव्हान करते हुये कहा कि न्याय आसान हो, तब ही सम्भव है, जब वह संवेदनशील और मानवीय होकर न्याय चाहने वालों तक सुगम व त्वरित गति से पहुँचाया जा सके।

न्याय केवल वह न्याय नहीं है जो विवाद होने पर दो पक्षों में के मध्य न्यायालय करता है। संविधान के प्रियम्बल में तीन प्रकार के न्याय की बात कही गई है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसे क्रमशः हम देखें तो पायेंगे कि सामाजिक न्याय की प्रथम आवश्यकता तथा आर्थिक न्याय दूसरे और राजनीतिक न्याय तीसरे स्थान पर रहता है।

> **राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिसका उल्लेख ऊपर किया है देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ में आये। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषायें ही भारत की भाषायें हैं इनमें विदेशी भाषा अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। फिर अंग्रेजी अभी तक क्यों?**

इस देश में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार दिये हैं, जिनका उल्लेख संविधान के तीसरे अध्याय में दिये हैं। ये राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक अधिकार हैं। दूसरे व तीसरे अधिकारों का उल्लेख संविधान के चतुर्थ चेप्टर में दिये हैं। इनकी पूर्ति करना राज्य का कर्त्तव्य है।

आरक्षण का अधिकार सामाजिक न्याय का एक पहलु है। संविधान ने अनुच्छेद 14 में घोषित किया कि राज्य देश में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, या जन्म स्थान लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।

न्याय आसान तभी होगा जब न्याय सभी को मिले, जिसे नागरिक अपनी भाषा में समझे। जीवन को आसान बनाने के हेतु न्याय में सुगमता और पहुँच तथा त्वरित जरूरी है।

मोदी जी ने सही कहा है कि न्याय में सुगमता सुनिश्चित हो, न्याय सभी के लिये हो, समय पर मिले, हर व्यक्ति तक पहुँचे वह भी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से बिना भेदभाव किये। न्याय प्रत्येक पीडित व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में मिले।

हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जहाँ 7 माननीय जज एक बात कहते हैं तो 6 न्यायाधीश दूसरी बात। जब इस पहेली का निर्णय बडे–2 न्यायाधीश भी नहीं कर पाये हैं तो एक बिना लिखा व्यक्ति क्या उस निर्णय को समझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ के कई निर्णय हैं जहाँ वे आपस में सहमत नहीं है, फिर गरीब के पास साधन कहाँ है कि जीवन भर मुकदमा लड़ता रहे? वह तो भूखा ही कोर्ट गया था भूखा ही मर जावेगा।

वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने 80000 से ज्यादा निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है। यह एक सराहनीय कदम है। पुराने सैकड़ों कानूनों को समाप्त किया है नये युग के हेतु नये कानून बनाये हैं 1949 में जब आजादी के बाद राजस्थान राज्य बना, उस समय राजस्थान हाईकोर्ट की भाषा हिन्दी थी (देखिये राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेन्स, 1949)। आज भी देश के हाईकोर्ट्स व सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही है। हाँ राजस्थान में 1987 के बाद से हिन्दी में कुछ नगण्य निर्णय हुये हैं। किन्तु सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। अनुच्छेद 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट्स में प्रयोग की जाने वाली अंग्रेजी भाषा रखी गई है किन्तु यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है, संसद कानून बनाकर हिन्दी को उसका स्थान दे सकती है। हिन्दी राज्य भाषा है, इसमें कोई शंका नहीं है। (पढ़िये अनुच्छेद 343)।

उपरोक्त राष्ट्रीय सम्मेलन ने सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और नये होने वाले मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों ने तथा पी एम मोदी ने एक स्वर में कहा है कि न्याय आसान हो वह तभी हो सकता है जब न्याय प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में समझे। फिर समझ से परे है कोर्ट्स की भाषा अंग्रेजी क्यों है, क्यों नहीं संसद इस हेतु कानून बना दे? संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा हिन्दी 26 जनवरी 1965 के बाद हो चुकी है तो फिर विलम्ब क्यों? राष्ट्रीय अधिवेशन में, जिसका उल्लेख ऊपर किया है देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ में आये। संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषायें ही भारत की भाषायें हैं इनमें विदेशी भाषा अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। फिर अंग्रेजी अभी तक क्यों? लेखक के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि अंग्रेजी के प्रयोग को तत्काल समाप्त कर दिया जावे। हाँ, इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जावे और 15 वर्ष की अवधि के बाद सुप्रीम कोर्ट का कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में स्वतः हो।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

भगवान बिरसा मुंडा और गोविंद गुरु : जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता चेतना के अमर प्रतीक

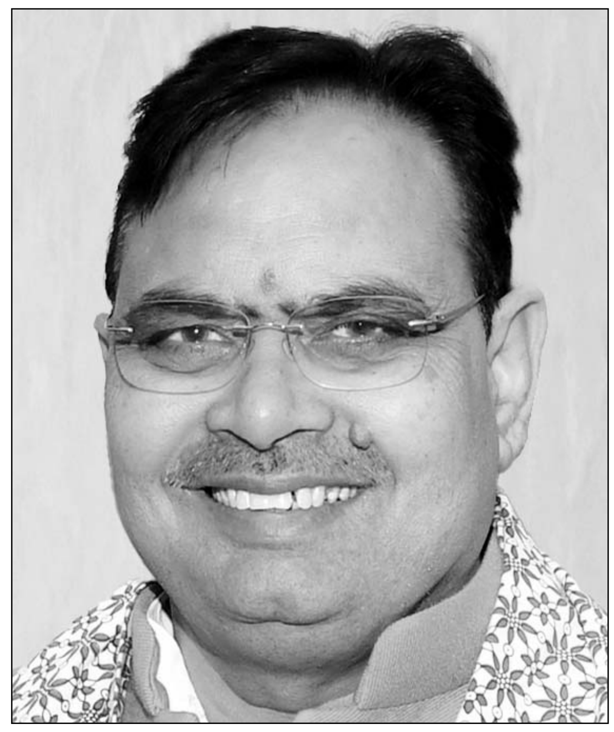

भजनलाल शर्मा

भारत का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासी समाज ने अपने साहस, स्वाभिमान और अदम्य इच्छाशक्ति से अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी। इनमें भगवान बिरसा मुंडा का नाम सर्वोपरि है। बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन में ही आदिवासी चेतना, स्वतंत्रता और संस्कृति की मशाल जलाकर एक अमर अध्याय रचा।

झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातु गांव में 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने यह दिखा दिया कि आयु नहीं, उद्देश्य की गहराई ही इतिहास रचती है। मात्र 25 वर्ष की आयु में वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विराट आंदोलन के जनक बने। उन्होंने आदिवासी समाज को 'उलगुलान' अर्थात महान जनविद्रोह के लिए संगठित किया। यह केवल अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की पुनः प्राप्ति का आंदोलन था।

बिरसा मुंडा का उदघोष अबुआ दिशुम, अबुआ राजअर्थात हमारा देश, हमारा राज आदिवासी अस्मिता की पहचान बन गया। उन्होंने अंग्रेजों के आदिवासियों की पारंपरिक खुंटकटी व्यवस्था समाप्त करने के भूमि कानूनों को चुनौती दी। आदिवासियों की भूमि बाहरी जमींदारों और महाजनों के कब्जे में चली गई थी। बिरसा ने इस अन्याय के विरुद्ध स्वराज का शंखनाद किया।

उनका संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी था। उन्होंने 1895 में एकेश्वरवाद पर आधारित बिरसाइत धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंधविश्वास, शराब, जादू-टोना और पशु बलि जैसी कुरीतियों से मुक्त होकर सत्य, संयम और सेवा का मार्ग अपनाने का संदेश दिया। उनका संदेश था कि ईश्वर हर मनुष्य में विद्यमान है, सच्ची पूजा सेवा में है। उन्होंने औषधीय जड़ी–बूटियों से लोगों का उपचार किया। उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाई और आत्मसम्मान की भावना जगाई। उनके विचारों ने आदिवासी समाज को यह विश्वास दिया कि वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। ब्रिटिश सरकार ने 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर उन्हें रांची जेल में बंद कर दिया। मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी आंदोलन की लहर नहीं थमी। उनकी स्मृति में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, 1908 लागू हुआ। आदिवासियों की भूमि की रक्षा के लिए यह ऐतिहासिक कानून सिद्ध हुआ।

बिरसा मुंडा की रांची के कोकर में स्थित समाधि पर हजारों लोग हर वर्ष उन्हें नमन करते हैं। उनकी तस्वीर संसद भवन में स्थापित है और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया है। यह केवल उन्हें श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक आदिवासी वीर को सम्मान देने का प्रतीक है।

राजस्थान की जनजातीय चेतना : गोविन्द गुरु का आंदोलन

बिरसा मुंडा के समानांतर, राजस्थान की भूमि पर भी गोविन्द गुरु के नेतृत्व में एक ऐसी ही तेजस्वी क्रांति हुई और वे बांसवाड़ा–डूंगरपुर क्षेत्र में जनजातीय समाज के पथप्रदर्शक बने। उन्होंने भील, गरासिया और अन्य जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वास, मद्यपान और शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया। गोविन्द गुरु ने भगत आंदोलन के माध्यम से आदिवासियों को अपनी भूमि, जल और जंगल की रक्षा स्वयं करने का संदेश दिया। उन्होंने सत्य, संयम और एकता को जीवन का आधार बनाया। उनका आंदोलन धीरे–धीरे सामाजिक सुधार से बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले गया।

गोविन्द गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को हजारों भील पुरुष, महिलाएं और बच्चे स्वतंत्रता के लिए एकत्र हुए। अंग्रेज सेना ने इस शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दीं और सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। यह घटना राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाती है। गोविन्द गुरु को आजीवन कारावास दिया गया, लेकिन उनकी चेतना ने आदिवासी समाज को सदा के लिए जागृत कर दिया।

राजस्थान के मोती भाई, कालूजी, नाथू जी और जोगिया भील सहित अन्य भील नेताओं ने भी स्थानीय स्तर पर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की पुकार था। आज भी मानगढ़ पहाड़ी जनजातीय शौर्य और बलिदान का पवित्र तीर्थ है।

आज जब भारत विकास के नए अध्याय लिख रहा है, बिरसा मुंडा के विचार पहले से अधिक प्रासंगिक हो उठे हैं। उनका सन्देश प्रकृति के साथ सामंजस्य, संस्कृति के प्रति सम्मान और समाज के प्रति संवेदना और सतत विकास की असली नींव का था।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान और जनजातीय दर्पण जैसे अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। यह सभी कार्यक्रम बिरसा मुंडा की प्रेरणा से ही जनजातीय समाज के सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हैं।

भगवान बिरसा मुंडा और गोविन्द गुरु जैसे जननायक केवल इतिहास के अध्याय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संस्कृति और न्याय की चेतना है। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की आज़ादी की जड़ें गांवों, वनों और पर्वतों की मिट्टी में भी गहराई से धंसी हुई है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनकी उस लौ को सदैव प्रज्वलित रखें जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ मानवता, समानता और स्वराज की राह दिखाती है। भगवान बिरसा मुंडा केवल धरती आबा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के अमर दीप हैं।

–भजनलाल शर्मा,
मुख्यमंत्री, राजस्थान

औपनिवेशिक शोषण के विरोध व आदिवासी पहचान के प्रतीक बिरसा मुंडा को पीएम मोदी की सच्ची श्रद्धांजलि

राजस्थान सहित देशभर में धरती आबा अभियान से जनजाति वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा, राजस्थान देश में नम्बर-1

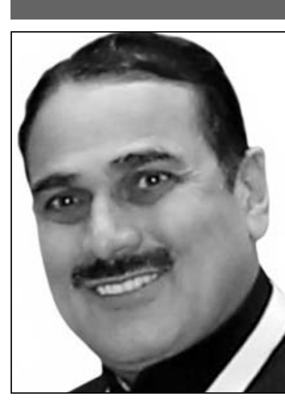

कुंजीलाल मीणा, आईएएस

15 नवम्बर को जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा को याद करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी है। "धरती आबा" यानी धरती के पिता के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र और जनजाति समुदाय के लिए जो कार्य किए, वे सदियों तक प्रेरणा देते रहेंगे।

भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को झारखंड के उलिहातू गाँव में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही आदिवासी समाज पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को महसूस किया। बिरसा मुंडा का जीवन ब्रिटिश उपनिवेशवाद, साहूकारों के शोषण और जमींदारी प्रथा के क्रूर गठजोड़ के खिलाफ एक अटूट संघर्ष था। उन्होंने देखा कि किस तरह उनकी मुंडा जनजाति की खुंटकट्टी (सामुदायिक स्वामित्व) कृषि प्रणाली को छीना जा रहा है और उन्हें बेगार (बंधुआ मजदूरी) करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश शासन ने अपने क्रूर वन कानूनों (जैसे भारतीय वन अधिनियम 1865 और 1878) के माध्यम से आदिवासियों को उनकी पारंपरिक वन भूमि से वंचित कर दिया। उन्होंने जंगलों को व्यावसायिक लाभ के लिए आरक्षित वन घोषित कर दिया जिससे आदिवासियों को लकड़ी काटने, मवेशी चराने, वनोत्पाद इकट्ठा करने या पारंपरिक शिकार करने से रोक दिया गया। इससे आदिवासियों की आजीविका और उनकी प्राचीन जीवनशैली पर सीधा हमला हुआ। बिरसा मुंडा ने इस शोषणकारी नीति और पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि भूमि, जल और जंगल पर आदिवासियों का सामूहिक अधिकार है और इन संसाधनों का उपयोग केवल सतत और न्यायपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए, न कि अनियंत्रित दोहन के लिए।

इस शोषण के विरुद्ध उन्होंने उलगुलान (महान विप्लव) आन्दोलन का आव्हान किया। यह केवल भूमि के लिए विद्रोह नहीं था, जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के पैतृक अधिकार, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को बचाने की लड़ाई थी। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट किया, उनके बीच व्याप्त जाति और उपजाति के भेदों को मिटाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे भी सम्मान और अधिकारों के पात्र हैं। उन्होंने अपने लोगों को यह सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपनी गरिमा के लिए लड़ना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने आदिवासियों को उनकी पारंपरिक न्यायिक प्रणाली, जैसे पड़ा पंचायत और मानकी–मुंडा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने विवादों का निपटारा स्वयं कर सकें और बाहरी अदालतों पर निर्भर न रहें। उनका अबुआ राज (अपना राज) का विचार केवल ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना थी जहाँ सभी को समान अधिकार मिलें, जहाँ किसी भी प्रकार का शोषण न हो और जहाँ हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को संगठित किया, उन्हें शस्त्रों के बजाय आत्म–विश्वास और सत्यनिष्ठा का बल दिया। 1897–1900 का बिरसा आंदोलन ब्रिटिश दमनकारी नीतियों एवं सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक प्रत्यक्ष और सशक्त चुनौती थी, जिसमें आदिवासियों ने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित विरोध किये। जनवरी, 1900 में डोम्बरी पहाड़ी पर जन सभा को संबोधित करते वक्त अंग्रेज सेना के साथ बिरसा मुंडा का टकराव हुआ एवं फरवरी में चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंठोजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने कैद कर रांची कारागार में रखा, जहाँ अंठोजों द्वारा इस आदिवासी महानायक को कई कठोर याजनाऐं देते हुए अन्ततः कारागार में बिरसा मुंडा जी की रहस्यमी परिस्थितियों में 9 जून, 1900 को मृत्यु हो गई।

बिरसा मुंडा केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, अपितु एक दूरदर्शी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने देखा कि जनजाति समुदाय में असंगठन, अशिक्षा, आर्थिक तंगी का गलत लाभ उठाते हुए ईसाई मिशनरियों द्वारा भोले–भाले आदिवासियों का धर्मान्तरण किया जा रहा है एवं आदिवासियों को उनकी गौरवशाली प्राचीन परम्पराओं से विमुख किया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को उनके धर्म एवं परम्पराओं से जोड़ने के लिए कमर कसी एवं लगभग 1894–95 के आसपास बिरसा ने एक आध्यात्मिक और सामाजिक–धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे बिरसाइत पंथ के नाम से जाना जाता है।

यह पंथ मूल मुंडा परंपराओं और एकेश्वरवाद का एक अनूठा संगम था, जिसमें केवल सिंगबोंगा (सूर्य देवता) की पूजा पर जोर दिया गया और जनजाति समुदाय में साफ–सफाई, शुद्धता तथा नैतिकता को जीवन का आधार माना गया। उन्होंने जनजातीय समुदाय को अंधविश्वासों, पशु बलि और नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने का उपदेश दिया। उनका यह प्रयास दिखाता है कि उन्होंने केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि आंतरिक बुराइयों से भी लड़ने का बीड़ा उठाया था। बिरसा मुंडा की शहादत के वर्षों बाद भी, उनका संदेश आज भी गूँजता है। उनके संघर्ष ने जनजातीय समुदायों को अधिकार और न्याय के लिए लड़ना सिखाया। उनकी प्रेरणा से ही, देश में वन अधिकार अधिनियम ,पेसा कानून और जनजातीय हितों की सुरक्षा के लिए कई संवैधानिक प्रावधान लागू हुए हैं।

बिरसा मुंडा हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व संसाधनों या उम्र से नहीं, बल्कि साहस, नैतिकता और अपने लोगों के प्रति समर्पण से मापा जाता है। आज के भारत में, जब हम समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तब हमें बिरसा मुंडा के उस सपने को याद रखना होगा जिसमे एक एक ऐसा समाज–निर्माण करने कि अभिलाषा है जहाँ हर व्यक्ति को गरिमा और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार हो, और जहाँ प्रकृति का सम्मान सर्वोपरि हो। आइए, हम सब धरती आबा के दिखाए मार्ग पर चलें और उनके न्यायपूर्ण तथा समतावादी समाज के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें।

भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा के लिए जो आवाज़ उठाई, वह सिर्फ विद्रोह नहीं, आत्मसम्मान की आवाज थी। टंट्या भील, गोविंद गुरु और काली बाई जैसे योद्धाओं ने राजस्थान में इसी आवास को विस्तार से गूंज दी, इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी पहचान न भूलें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं बिरसा की विरासत के संरक्षक :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस सच्चाई को गहराई से समझा कि भारत की आत्मा उसकी जनजातियों में बसती है। सरकार विरासत भी, विकास भी के सिद्धांत पर काम कर रही है ताकि जनजातीय संस्कृति को संरक्षित रखते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए धरती आबा अभियान शुरू किया। जनजाति बहुल क्षेत्रों में विकास कार्य व सरकारी सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने, शिकायत निवारण प्रणाली को पूर्ण प्रभावी बनाने और जनजाति वर्ग के अधिकारों की अक्षरशः पालना, उनके कल्याण और उत्थान के लिए देशभर में संचालित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) मामले में राजस्थान देश में नम्बर 1 पर है।

धरती आभा अभियान का मकसद अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के प्रति जनजातीय समुदायों तक जागरूकता और पहुंच बढ़ाकर उनका सशक्तीकरण सुनिश्चत करना है। धरती आबा और पीएम–जनमन केन्द्र सरकार की बेहद उच्च प्राथमिकता वाले अभियान/योजनाओं में शामिल हैं, जिनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करने तथा आवश्यकता वाले क्षेत्र में नवाचार के लिए बहुत उच्च स्तरीय सिस्टम कार्यरत है। इस अभियान में देश के 549 जिलों के 63,000 से अधिक जनजातीय बहुल गांव कवर किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी जागरूकता और लाभ संतृप्ति अभियान के रूप में संचालित इस अभियान में 207 जिलों की 29,000 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बस्तियां शामिल हैं।

मिशन के उद्देश्यों में व्यक्तिगत अधिकारों, हकों और प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दस्तावेजों और लाभों की घर–घर डिलीवरी सुनिश्चित करना, सामुदायिक लामबंदी के माध्यम से सहभागी शासन को बढ़ावा देना शामिल है।इसके साथ ही जनजातीय युवाओं को डिजिटल योद्धा और जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले के रूप में सशक्त बनाना, गांव और बस्ती स्तर पर एससीडी स्क्रीनिंग, जागरूकता और परामर्श भी मिशन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल रहा। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्म के 150 साल बाद उनकी विरासत, उनके स्वप्न, उनकी आंकांक्षाओं को राष्ट्रीय चेतना से एकाकार कर उनके सच्चे अनुयायी की भूमिका अदा की है।

कुंजीलाल मीणा, आईएएस,
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
राजस्थान

राशिफल

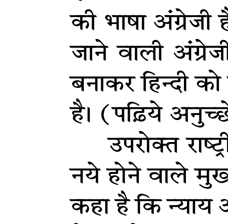

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 14 नवम्बर, 2025

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 9:21 तक, वैधृति योग शनिवार प्रातः 6:26 तक, वणिज करण दिन 12:12 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:51 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य–तुला, चन्द्रमा–सिंह, मंगल–वृश्चिक, बुध–वृश्चिक, गुरू–कर्क, शुक्र–तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 9:21 तक है। भद्रा दिन 12:12 से रात्रि 12:50 तक रहेगी। बुध आज पश्चिम में दिन 1:28 पर होगा। आज वैधृति पुण्य, भगवान महावीर तप, कल्याणक दिवस है। आज जवाहरलाल नेहरू जयन्ती और बाल दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:10 तक, लाभ–अमृत 8:10 से 10:51 तक, शुभ 12:11 से 1:32 तक, चर 4:12 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:50, सूर्यास्त 5:33 तक

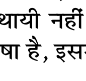

मेष
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। खान–पान के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

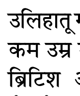

वृष
घर–परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

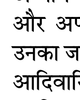

मिथुन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या एवं व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

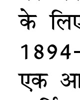

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य योजना बन सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

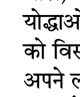

सिंह
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सोच–विचार हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

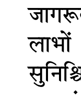

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परेशानी एवं धन हानि हो सकती है। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ कार्यों में भाग ले सकते हैं।

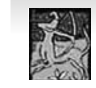

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कुंभ
घर–परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

मीन
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।